न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 101 / 2018
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2018 / 00206
किस्म प्रार्थना पत्र 183,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 04.03.24

1. कमलेश बेवा खैमसिंह जाति जाट निवासी खुर्रमपुर तहसील नदबई(भरतपुर)
2. पवन पुत्र खैमसिंह नाबालिग बलीसरपरस्त माता खुद कमलेश वेवा खेमसिंह जाति जाट निवासी खुर्रमपुर तहसील नदबई(भरतपुर)

प्रार्थी

बनाम

1. रूपसिंह पुत्र सांवल जाति जाट निवासी खुर्रमपुर तहसील नदबई(भरतपुर)
2. कश्मीरी पत्नि रूपसिंह जाति जाट निवासी खुर्रमपुर तहसील नदबई(भरतपुर)
3. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।

अप्रार्थीगण

उपस्थित श्री रामकिशन पूनियां एड.(प्रार्थी की ओर से)

निर्णय

दावा 183,188 आर.टी.ए.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:27:46 IST
Reason: SelfAttested

1. यह कि वादीगण द्वारा दावा अंतर्गत धारा 183,188 आरटीए के तहत पेश किया गया है।

04/03/24

Scanned with CamScanner

2. यह कि आराजी खसरा न. 234/93 रकवा 0.05, 236/95 रकवा 0.05 किता 2 रकवा 0.10 वाके ग्राम खुर्रमपुर तहसील नदबई में स्थित है। जोकि वादीगण की न्यारानूर राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है।

3. यह कि प्रतिवादीगण ताकतवर व लठैत व्यक्ति है तथा वादीगण से सख्त रंजिश रखते हैं, जिसको वादिनी को तंग व परेशान करते रहते हैं, प्रतिवादी का उक्त रकवा से कोई संबंध सरोकार नहीं है।

4. यह कि आराजी खसरा न. 234/93 रकवा 0.05, 236/95 रकवा 0.05 किता 2 रकवा 0.10 का जो कि वादिनी की खातेदारी का रकवा है, जिस पर करीब 0.05 है. पर प्रतिवादीगण ने कब्जा करा लिया है। जिसको वादीगण हटवाये जाने के अधिकारी है।

5. यह कि न्यायालय श्रीमान के समक्ष एकदावा पंकज वगै. बनाम रूपसिंह वगै. अन्तर्गत धारा 53,88,188 आरटीए चला था जिसमें दौराने दावा प्रतिवादीगण ने कब्जा कर लिया था, जिस पर वादीगण ने 212 आरटीए के मौके की यथास्थिति का स्टे लिया। उसके बाबजूद भी प्रतिवादीगण ने वादीगण 0.05 हिस्से में दीवार बना ली है, जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण के खिलाफ आदेश 39 नियम 2 जाफ्ता दीवानी पेश किया जिसको अदालत श्रीमान द्वारा स्वीकार कर प्रतिवादी रूपसिंह अप्रार्थी को आदेश दिया कि अप्रार्थीगण द्वारा एक माह की अवधि में उक्त अतिक्रमण को स्वयं के खर्चे पर नहीं हटाया तो तहसीलदार नदबई उक्त सामग्री को कुर्क कर कब्जे राज लेवे तथा साथ ही अप्रार्थी को तीन माह का सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है। वारंट गिरफ्तारी जारी हो उक्त मामले की कार्यवाही काफी समय तक चला था जो कि अब उक्त मामला माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन है।

6. यह कि प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण का सबूत पैमाईश रिपोर्ट मौका पर्चा दिनांक 29.09.2005 एवं पुलिस मौका रिपोर्ट दिनांक 26.06.2006 से भी सावित है, इसलिये वादीगण प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटवाये जाने का अधिकारी है।

7. यह कि अव पुनः इसके अलावा प्रतिवादीगण [illegible] शेष बचे हिस्से पर आम रास्ता बना लिया है, पहले दीवार बना ली [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:27:46 IST
Reason: SelfAttested

04/3/24

Scanned with CamScanner

8. यह कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को वामुकाम खुर्रमपुर पर यह एलानियां धमकी दी है कि वह विवादित आराजी से वादीगण को बेदखल कर वह वादीगण के लिये काश्त नहीं करने देंगे व कब्जे में दखलंदाजी करके रहेंगे। अगर प्रतिवादीगण द्वारा अपनी दी गई धमकी में कामयाब हो गये तो वादीगण को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद से नहीं हो सकेगी। अतः वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण को अदालत द्वारा जरिये स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद करा पाने के अधिकारी है कि वह वादीगण द्वारा खरीद किये गये रकवा के कब्जा काश्त में दखलंदाजी नहीं करें।

9. यह कि बिनायमुखास्मत यौमदेने धमकी दिनांक 05.07.2018 को वादीगण को प्रतिवादीगण द्वारा धमकी दिये जाने से वादीगण को यह दावा लाने का हक नालिस प्राप्त है।

अंत में प्रार्थना है कि विवादित आराजी व मद सं. 2 वादपत्र की आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अतिक्रमण से बेदखल कर वादीगण को कब्जा दिलवाया जावे। एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी वादी के हिस्से में दखलंदाजी नहीं करें।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 03 की तलबी हो चुकी है, तामील बाबजूद प्रतिवादीगण न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही दिनांक 28.11.2022 को अमल में लाई गई।

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में हाल जमाबंदी संबत 2071–74 वाके ग्राम खुर्रमपुर प्रदर्श–1, नकल फोटोप्रति मौका पर्चा पैमाईश दिनांक 29.09.2005 प्रदर्श–2, नकल फोटोप्रति निर्णय मुकदमा पंकज बनाम रूपसिंह वगैरा मु.सं. 191/08 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई प्रदर्श–3, नकल फोटोप्रति पुलिस थाना नदबई, पेश किये गये एवं मौखिक साक्ष्य के रूप में कमलेश बेवा खेमसिंह जाति जाट निवासी खुर्रमपुर व नेतराम पुत्र रामखिलाडी जाटव निवासी खुर्रमपुर के शपथपत्र पेश किये गये।

प्रतिवादीगण की ओर से अपने समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किये गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:27:46 IST
Reason: SelfAttested

04/03/24

Scanned with CamScanner

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस को सुना, व मनन किया तो पाया कि वादीगण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 आरटीए के तहत पेश किया गया, जिसमें वादपत्र की मद सं. 2 में अंकित विवादित आराजी खसरा न. 234/93 रकवा 0.05, 236/95 रकवा 0.05 किता 2 कुल रकवा 0.10 वाके ग्राम खुर्रमपुर तहसील नदबई में स्थित है। उक्त खसरा नम्बरान पर वादीगण की खातेदारी का अंकन हो रहा है। उक्त रकवा से प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा वास्ते पैमाईश दिनांक 29.05.2005 प्रदर्श–2 में अंकित है उक्त खसरा नम्बरान के 0.5 एयर पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है, तथा मौके पर पुख्ता निर्माण वगैरा किया हुआ है, एवं उसमें दुकानें व वाडा बनाये हुये हैं इससे स्पष्ट होता है कि वादीगण की आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा 0.05 ऐयर पर कब्जा किया हुआ है। इसके अलावा न्यायालय श्रीमान में वाद पंकज बनाम रूपसिंह वगैरा अन्तर्गत धारा 53,88,89,188 आरटीए के तहत चला था, जिसमें दौराने दावा प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजी पर मौके की यथास्थिति का स्थगन लिया गया। स्थगन के बावजूद भी प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के 0.05 हिस्से में दीवार वगैरा बना ली गई। जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण के खिलाफ प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2 के तहत पेश किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा स्वीकार की जाकर प्रतिवादीगण को आदेश दिया गया कि एक माह की अवधि मे वादीगण के किये हुये कब्जे के रकवे पर किये गये कब्जे को अपने स्वयं के खर्चे पर हटाया जावे अन्यथा तहसीलदार नदबई उक्त सामग्री को कुर्क किया जाकर कब्जे राज में लिया जावे तथा अप्रार्थीगण को तीन माह का सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा गिरफ्तारी वारण्ट जारी होके निर्णय पारित किया गया। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण किये जाने बाबत पैमाईश रिपोर्ट मौका पर्चा दिनांक 29.09.2005 से साबित है। इसके अलावा वादीगण द्वारा मौखिक बयान के रूप में वादी कमलेश बेवा खेमसिंह द्वारा शपथपत्र पेश किये गये एवं नेतराम पुत्र रामखिलाडी जाति जाटव निवासी खुर्रमपुर द्वारा भी अपने मौखिक बयान पेश किये गये जो वादीगण के वादपत्र को समर्थन करता है। ... र वादीगण का वादपत्र काबिल डिक्री किया जाना उचित है। अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा न. 234/93 रकवा 0.05, एवं 236/95 रकवा 0.05 किता 2 कुल रकवा 0.10 वाके

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:27:46 IST
Reason: SelfAttested

4/3/24

Scanned with CamScanner

ग्राम खुर्रमपुर तहसील नदबई पर स्थित है। तहसीलदार नदबई को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण के किये हुये अवैद्य अतिक्रमित रकबे पर प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा दिलाया जावे, एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह विवादित आराजी में किसी प्रकार से मदाखलत मजामहत नहीं करें।

निर्णय आज दिनांक 04.03.24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

04/03/24

(गंगाधर मीना R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी

नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:27:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner